संख्या-343/22-4-2010-104(ब)/08

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक-23 फरवरी, 2010

विषयः- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 में द्वितीय अनुपूरक मांग के माध्यम से उपलब्ध बजट प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-2-354/दस-2010-244(2)/2009, दिनांक 17.02.2010 एवं आपके पत्र संख्या-35130/बजट-09-10 (द्वितीय अनुपूरक मॉग) दिनांक-23.12.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के लेखा शीर्षक-"2056-जेलें-001 निदेशन तथा प्रशासन-03 मुख्य,101-जेल-03 समस्त कारागार एवं 102-जेल उत्पाद-03 समस्त कारागार के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यवस्थित कुल धनराशि, जिसका विस्तृत विवरण संलग्नक में दिया गया है, रू0-27,79,17,000.00 (रूपये सत्ताइस करोड़ उन्यासी लाख सत्तरह हजार मात्र) सम्बन्धित वचनबद्ध/आवश्यक व्यय वहन करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक-06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अधीनस्थ कार्यालयों को मासिक उपयोग के आधार पर धनराशि आवंटन की जाय, ताकि उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाना संभव हो सके।

(3) आवंटन आदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 को आवश्यक रूप से पृष्ठांकित किये जायं। विशेष परिस्थिति में यदि अधिक धनराशि के आवंटन की आवश्यकता है तो समुचित कारण बताते हुए शासन की अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आवंटन किया जाय।

(4) शासकीय व्यय मे मितव्ययिता की दृष्टि से व्यय करते समय मितव्ययिता के संबध में जारी शासनादेश संख्या-सी.ए.1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक-07 जनवरी, 2005 का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

PTO

(5) उक्त के अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाय कि व्यय सम्बन्धी स्थाई वित्तीय नियमों तथा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बाद ही धनराशि का व्यय किया जाय और वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -बी-1-490/दस-2009-231/2009 दिनांक 20.03.09, जो आपको भी पृष्ठांकित है में प्रदत्त निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के लेखा शीर्षक-"2056-जेलें-001 निदेशन तथा प्रशासन-03 मुख्य, 101-जेल-03 समस्त कारागार एवं 102-जेल उत्पाद-03 समस्त कारागार के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित मदों के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-ई-12-532/दस-2010 दिनांक-23 फरवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।

संख्या-343(1)/22-4-2010-तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र.,इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।